

अपील क्रमांक 171/बो.प्र./नि.स./2022  
कार्यालय प्रमुख अभियंता (बोधी प्रकोष्ठ)  
जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन,  
सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

दिनांक /04/2022

अपील प्रकरण क्रमांक 171/बो.प्र./नि.सही./2022

**अपीलार्थी**

श्री विनेश कुमार चोपड़ा (पत्रकार),  
वार्ड नं.-24 जमातपारा,  
कॉलेज रोड, राजनांदगांव,  
जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)  
पिनकोड -491441,  
मो.नं.-9425559204

**उत्तरवादी**

श्री ए.के. साय,  
जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख  
अभियंता, जल संसाधन विभाग,  
नवा रायपुर (छ.ग.)

**विरुद्ध**

**आदेश दिनांक 20.04.2022**

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलार्थी श्री विनेश कुमार चोपड़ा के प्रथम अपील आवेदन पत्र दिनांक 25.03.2022 जो कार्यालय में दिनांक 25.03.2022 को प्राप्त हुआ, की सुनवाई दिनांक 07.04.2022 को कक्ष क्रं. SA-13, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर में दोपहर 12.00 बजे की गई।

2. सुनवाई के दौरान उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी श्री ए.के. साय, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर (छ.ग.) तथा अपीलार्थी श्री विनेश चोपड़ा उपस्थित थे।

3. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) में पदस्थ श्री अरविंद कुमार कुंभारे, स्टेनों की शासकीय सेवा में उनकी प्रथम नियुक्ति होने से लेकर आज तक की उनकी सभी नियुक्तियों/पदस्थापनाओं/पदोन्नतियों के सम्पूर्ण दस्तावेजों एवं जाति एवं गोत्र की प्रमाणित छायाप्रति प्राप्त करने के लिए दिनांक 30.12.2021 को आवेदन प्रस्तुत किया। जनसूचना अधिकारी द्वारा इस बारे में संबंधित कर्मचारी श्री अरविन्द कुमार कुंभारे, स्टेनों, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर (जिन्हें आगे तृतीय पक्ष उद्बोधित किया जावेगा) को कार्यालयीन पत्र दिनांक 05.01.2022 द्वारा जानकारी देने हेतु सहमति हेतु पत्र लिखा गया, जिस पर संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके पत्र दिनांक 10.01.2022 से संबंधित जानकारी प्रदान करने हेतु असहमति व्यक्त की गई है। इस बाबत उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी द्वारा कार्यालयीन पत्र क्र. 4112275/141/छ.ग./2021/215, दिनांक 10.01.2022 से अपीलार्थी को सूचित किया कि श्री अरविन्द कुमार कुंभारे की नियुक्ति दिनांक 03.10.1989 को म.प्र. शासन भोपाल द्वारा किया गया है। प्रमुख अभियंता कार्यालय में उपलब्ध जानकारी के अनुसार 12 पृष्ठ की जानकारी हेतु दस्तावेज शुल्क 24/- की मांग दिनांक 10.01.2022 के पत्र द्वारा की गई। साथ ही अवगत कराया कि संबंधित अधिकारी कर्मचारी द्वारा अपनी व्यक्तिगत जानकारी यथा-प्रथम नियुक्ति होने के पूर्व राज्य शासन द्वारा स्टेनो पद पर भर्ती के लिये जारी सार्वजनिक सूचनाओं सहित (प्रकाशित विज्ञापन) जानकारी उपलब्ध करवाने कडिका 1 से 3 संबंधित आवश्यक दस्तावेज जैसे स्वयं की जाति, गोत्र की प्रमाणिकता पत्र दिये जाने के संबंध में असहमति व्यक्त किया गया है। आवेदक से 24/- की राशि दिनांक 16.02.2022 को प्राप्त होने पर 12 पृष्ठ की जानकारी दिनांक 16.02.2022 को जावक की गई, जिसे जावक शाखा द्वारा दिनांक 24.02.2022 को रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की गई। मांगी गई जानकारी निर्धारित समय - सीमा

एवं सही दस्तावेज जनसूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी श्री विनेश कुमार चोपड़ा ने दिनांक 25.03.2022 द्वारा प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया है, जो दिनांक 25.03.2022 को प्राप्त हुआ।

4. अपीलार्थी श्री विनेश कुमार चोपड़ा (पत्रकार) राजनांदगांव ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि जनसूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 10.01.2022 को पत्र जावक किया गया, किन्तु जावक शाखा द्वारा उक्त पत्र को दिनांक 28.01.2022 को रजिस्ट्री किया गया। इसी प्रकार एक और पत्र दिनांक 16.02.2022 को जावक किया गया, जिसका रजिस्ट्री दिनांक 24.02.2022 को किया गया है। अपीलार्थी द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा मांगी गई जानकारी गोत्र एवं जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति उन्हें नहीं दिया गया। उनके द्वारा धारा 8 के अंतिम पैरा में, "ऐसी सूचना के लिए, जिसको, यथा स्थिति, संसद या किसी विधान-मंडल को देने से इंकार नहीं किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को इंकार नहीं किया जा सकेगा," का तर्क दिया गया और कहा गया कि जनसूचना अधिकारी को उन्हें पूरी जानकारी प्रदाय किया जाना था। अपीलार्थी ने कहा कि उन्हें संबंधित का जाति प्रमाण पत्र व गोत्र की जानकारी नहीं दी है, इसलिए उन्होंने अपील प्रस्तुत की है ताकि उन्हें दस्तावेज प्राप्त हो सके। उन्होंने तर्क दिया कि सेवा में नियुक्ति के लिए जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए हैं वे व्यक्तिगत जानकारी की श्रेणी में नहीं आते परन्तु सार्वजनिक दस्तावेज की श्रेणी में आते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जो दस्तावेज दिये जा रहे हैं उनमें ही अजजा तथा वेतनमान का लेख भी है। उनका यह भी कहना है कि उन्हें अपुष्ट सूत्रों से और उनके संपर्कों से यह ज्ञात हुआ है कि संबंधित की गलत जाति बताकर नियुक्ति प्राप्त की गई है। यह पूछने पर कि क्या इस कार्यालय में उपलब्ध जाति प्रमाण पत्र संबंधी दस्तावेज यदि उन्हें आफिसियली ऑन रिकार्ड अवलोकन कराया जाए तो क्या वे जानकारी प्राप्त होना मानेंगे ? इस पर उन्होंने असहमति व्यक्त करते हुए दुहराया कि उन्हें जाति प्रमाण पत्र व गोत्र के दस्तावेज की जनसूचना अधिकारी के द्वारा अभि-प्रमाणित प्रति ही दी जाए।

5. जनसूचना अधिकारी द्वारा बताया गया कि चाही गई जानकारी यथा नियुक्ति, पदस्थापनाओं-पदोन्नति एवं जाति प्रमाण-पत्र/गोत्र तृतीय पक्ष से संबंधित होती है जो तृतीय पक्ष के अनुमति के बिना प्रदाय नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1) (j) के तहत किसी भी कर्मचारी की व्यक्तिगत जानकारी नहीं दी जा सकती है तथा अतिरिक्त चाही गई जानकारी में नियुक्ति म.प्र. शासन, भोपाल (म. प्र.) कार्यकाल की है और प्रमुख अभियंता कार्यालय में उपलब्ध जानकारी के अनुसार 12 पृष्ठों की जानकारी प्रदाय करने हेतु अपीलार्थी को राशि रु. 24/- जमा करने हेतु दिनांक 10.01.2022 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया था और यह जानकारी शुल्क प्राप्त होने के पश्चात आवेदक को प्रदान की जा चुकी है। किन्तु अपीलार्थी द्वारा पत्रों को विलंब से प्राप्त होने की शिकायत की गई। जनसूचना अधिकारी ने गिरीश आर. देशपांडे के प्रकरण में मान. उच्चतम न्यायालय के आदेश का संदर्भ "व्यक्तिगत जानकारी को सार्वजनिक नहीं करने" प्रस्तुत किया। जब उनसे यह पूछा गया कि क्या वे कार्यालय में उपलब्ध संबंधित का जाति प्रमाण पत्र व गोत्र संबंधी दस्तावेज क्या आफिसियली ऑन रिकार्ड अपीलार्थी को अवलोकन करवा सकते हैं ? इस पर उन्होंने असहमति व्यक्त की और कहा कि संबंधित तीसरे पक्ष की अति व्यक्तिगत जानकारी जाति, गोत्र के बारे में तीसरे पक्ष की अनुमति के बगैर जानकारी का अवलोकन नहीं कराया जा सकता। साथ ही जनसूचना अधिकारी ने सुभाष अग्रवाल के प्रकरण का लेख कर बताया कि व्यक्तिगत जानकारी के संबंध में निम्न निर्णय पारित किया है:-

" [59] Reading of the aforesaid judicial precedents, in our opinion, would indicate that personal records, including name, address, physical, mental and psychological status, marks obtained, grades and answer sheets, are all treated as personal information. Similarly, professional records, including qualification, performance, evaluation reports, ACRs, disciplinary proceedings, etc. are all personal information. Medical records, treatment, choice of medicine, list of hospitals and doctors visited, findings recorded, including that of the family members, information relating to assets, liabilities, income tax returns, details of investments, lending and borrowing. etc. are personal information. Such personal information is entitled to protection from unwarranted invasion of privacy and conditional access is available when stipulation of larger public interest is satisfied. This list is indicative and not exhaustive. "

6 अपीलार्थी को कार्यालय में उपलब्ध 12 पृष्ठ की अन्य वांछित जानकारी प्रदान की जा चुकी है, जिसमें तीसरे पक्ष की असहमति के कारण जाति व गोत्र की जानकारी नहीं दी गई। जनसूचना अधिकारी द्वारा जाति व गोत्र को व्यक्तिगत जानकारी माना है जिसे संबंधित पक्ष की सहमति के बगैर नहीं दिया जा सकता और सहमति प्राप्त नहीं हुई है।

7. It is well settled that according to RTI Act 2005 the personal information or details submitted by an employee to an employer are expected to be kept confidential, if disclosure is not in larger Public Interests. Here in this case the applicant/ appellant says that he as having some knowledge by his sources regarding the caste of employee (third party) but having some knowledge does not prove that disclosure of Caste & Gotra certificate (in document form) is required in larger public interests. The appellant may opt various other righteous forums for proper inquiry in his complaint if he does so. More over the Caste and Gotra certificate of an employee undoubtedly fall within the category of personal document or personal information according to Hon'ble SC orders put up by PIO and as it is related with the privacy of the citizen which in an intrinsic part of fundamental right under article 21 (Right to Life and Personal Liberty) of Constitution of India. So disclosure of Caste and Gotra certificate is exempted under 8 (1) (j) of RTI Act 2005. So, Caste and Gotra Certificate can not be given in this case to applicant/ appellant.

जनसूचना अधिकारी ने नियमानुसार कार्यवाही की है। अपील निरस्त की जाती है। संबंधितों को निशुल्क सूचित हो।

इस आदेश से असंतुष्ट पक्ष, इस आदेश के विरुद्ध 90 दिनों के भीतर, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.) पिन 492002 के कार्यालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

**अधी/-**  
(वीरेन्द्र तिवारी)  
प्रथम अपीलीय अधिकारी,  
कार्यालय प्रमुख अभियंता,  
जल संसाधन विभाग,  
अटल नगर, नवा रायपुर

पृ.क्र./ 171 / बो.प्र. / नि.स. / 2022 / 3624

रायपुर, दिनांक 20/04/2022

प्रतिलिपि:-

1. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस., कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया उक्त आदेश को विभाग के बेबसाईट (RTI) में अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. श्री ए.के. साय, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री श्री विनेश कुमार चोपड़ा (पत्रकार), वार्ड नं.-24 जमातपारा, कॉलेज रोड, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव (छ.ग.) पिनकोड -491441 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(वीरेन्द्र तिवारी)

प्रथम अपीलीय अधिकारी,  
कार्यालय प्रमुख अभियंता,  
जल संसाधन विभाग,  
शिवनाथ भवन, नवा रायपुर  
अटल नगर (छ.ग.)